सेवा में,

टेलीकाम रेगुलेटरी अथारीटि आफ इण्डिया

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110002

विषय– (टैरिफ आर्डर सम्बन्धित)

महोदय,

मैं टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी द्वारा टैरिफ आर्डर पर मांगे गये सुझाव का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

महोदय,

टैरिफ आर्डर में प्रति चैनल जो ब्राडकार्स्टस के रेट तय किये जाने का प्रस्ताव है यह उपभोक्ताओं के हित में उचित नहीं है।

जैसा कि आप जानते है कि केबिल टी0वी0 आप उपभोक्ताओं के लिए सुचना स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एक मात्र सस्ता साधन है। अतः मेरा रेगुलेटरी अथारिटी से विन्रम निवेदन है कि पे चैनल के रेट न बढ़ाये जाये।

1. ब्राडकार्स्टस को अपने पे चैनल की घोषणा करने के साथ ही उसके जैनर की घोषणा करना अनिवार्य होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सम्बन्धित चैनल की मांग बढ़ने पर उसका जैनर बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
2. क्योंकि पे चैनल को विज्ञापन से पहले ही बहुत आय होती है अतः पे चैनल का कोई मासिक शूल्क नहीं होना चाहिए।

3. एच0डी0 चैनल के रेट एस0डी0 चैनल से 25 प्रतिशत नहीं होनी चाहिए। क्योकि दोनो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम एक समान होते है।
4. अब भारत सरकार जी0एस0टी0 लागू करके देश भर में टैक्स की दरे एक समान करने की आरे अग्रसर है। अतः इसी को ध्यान में रखते हुये ब्राडकार्स्टस की चैनली की दरे प्ररिस्थितियों के आधार पर अलग–अलग न होकर एक समान ही होनी चाहिए।
5. प्रिमियम श्रेणी के सम्बन्ध में ब्राडकर्स्टस को पूर्व प्रशारित हो रहे चैनल को प्रिमियम श्रेणी में रखने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि नये चैनल को प्रिमियम श्रेणी में रखने की छूट भी इन शर्तो पर दी जानी चाहिए की प्रिमियम चैनल की में 12 घण्टे से अधिक रिपिट प्रोग्राम न हो।

अन्त में मेरा रेगुलेटरी अथारिटी से विनम्र विवेदन है कि ब्राडकार्स्टस के चैनल की दरे तय करने क पश्चात इसमें रह गयी कमियों का आकलन करने हेतु 3 महिने पश्चात् सभी स्टॉक होल्डर की पुनः एक ओपेन हाऊस मिटिंग बुलाई जाये और सीधा प्रशारण करने की भीव व्यवस्था की जाये। जिससे देश भर के सभी एल0सी0ओ0 व उपभोक्ताओं तक इसकी जानकारी पहुच सकें। धन्यवाद।

सुनिता विजन
शिव कुमार सिंह
दिनांक–26.10.2016